—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 116/2024

उनवान

1. नंगीदेवी पत्नी मान सिंह,
2. प्रकाश सिंह,
3. निर्मला,
4. रीना,
5. अनिल,
6. सुमन,
7. रचना,
8. प्रतिमा पि. मान सिंह जाति रावत पि. ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. अभिलेश पुत्र रमेश उर्फ प्रीतम,
2. अभय सिंह पुत्र सुवा,
3. आनन्द पुत्र हजारी,
4. कर्मा पुत्र धन्ना,
5. कल्याण पुत्र राजू,
6. कुशाल पुत्र राजू,
7. केसर पत्नी मोहन सिंह,
8. गंगाराम,
9. गुमान सिंह पि0 मोहन सिंह,
10. गीता पत्नी प्रभु,
11. गांधी पत्नी चांदमल,
12. जितेन्द्र पुत्र चादंमल,
13. पूजा पुत्री चादंमल,
14. ज्ञान सिंह पुत्र रतना,
15. धर्मा पुत्र धन्ना,
16. पृथ्वीराज पुत्र हजारी,
17. प्रताप सिंह पुत्र हजारी,
18. प्रेम सिंह पुत्र राजू,
19. प्रीतम सिंह पुत्र भंवर सिंह,
20. बदामी पत्नी प्रिया सिंह,
21. बलवन्त पुत्र उगम सिंह,
22. बहादुर पुत्र प्रिया सिंह,
23. भगवान सिंह पु. रतना,
24. मंगल सिंह पुत्र जस्सा,
25. सम्पति पत्नी मदन,

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.26 17:39:20 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

26. विरेन्द्र,
27. दिनेश,
28. सोनू,
29. मोनू
30. कोमल पि. मदन,
31. ममता पुत्री रमेश उर्फ प्रीतम सिंह,
32. महेन्द्र पुत्र मान सिंह,
33 मान सिंह पुत्र रतना,
34. मान सिंह पुत्र रतना (तर्क)
35. रूकमा पत्नी उगम सिंह,
36. लाडी पत्नी प्रेम सिंह,
37. विक्रम पुत्र प्रभु,
38. विकास पुत्र प्रिया सिंह,
39. विमल पुत्र भंवर सिंह,
40. शैलेन्द्र पुत्र भंवर सिंह,
41. संगीता पुत्री रमेश उर्फ प्रीतम सिंह,
42. सोहन पुत्र प्रेम सिंह, जात रावत नि0 भवानीखेडा, नसीराबाद,
43. मैनेजर यूनियन बैंक आफॅ इण्डिया भवानीखेडा,
44. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 43 अनुपस्थित, 44 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 1898 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 10.12.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के वंर्किग खसरा नम्बर 1518 रकबा 77—0—0 में से 23—10—0 की आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज भूरा व लाला वगै. के नाम खातेदारी दर्ज थी। बंदोबस्त विभाग ने आराजी मुतनाजा के बने हाल खसरा नम्बर 1349 रकबा 8.62 के तरमीमी खसरा नम्बर 3810/1349 रकबा 3.16 भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी, किन्तु वादीगण के नाम आराजी मुतनाजा का अंकन नही किया गया। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण पूर्व में उपस्थित हुये किन्तु वाद विचारण के दौरान अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश [illegible] विचारण के दौरान अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.[illegible] किया तथा प्रतिवादी संख्या 34 का नाम तर्क कर प्रतिवादी संख्या [illegible] किया गया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण [illegible] को कायम नही की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.26 17:39:20 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में राजस्व अमिलेख व शजरा पेश किये। तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम भवानीखेडा के वंर्किग खसरा नम्बर 1518 रकबा 13—15—0 की आराजी खसरा गिरदावरी सम्वत् सम्वत् 2046 से 2049 में मूरा व लाला वगै. के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 1518 के चौसाला खसरा नम्बर 1178 रकबा 23—15—0 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2019 से 2023 में लाला पुत्र हीरा व अन्य व्यक्तियों के नाम खातेदारी दर्ज थी। पत्रावली में उपलब्ध शजरा शपथ पत्र अनुसार वादीगण लाला पि. हीरा के वारिस है। आराजी मुतनाजा के हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 3810/1349 रकबा 3.16 भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी, किन्तु वादीगण के नाम आराजी मुतनाजा का अंकन नही किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण का काई खण्डन नही किया गया है। चौसाला व वंकिग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण/पूर्वज के साथ वादीगण के पूर्वज लाला पि. हीरा के नाम भी खातेदारी दर्ज थी। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज ही दोहराना था। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा पर वादीगण का नाम दर्ज नही किया गया। आराजी मुतनाजा का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 3810/1349 रकबा 3.16 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण के साथ साबिक जमाबंदी में लाला पि. हीरा के हिस्से पर विरासत के हक व हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.26 17:39:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इन्द्राज
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नंगी देवी बनाम अभिलेश

दावा बाबत :– 88,188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर –116/2024
पेश करने की दिनांक –11.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 3810/1349 रकबा 3.16 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण के साथ साबिक जमाबंदी में लाला पि. हीरा के हिस्से पर विरासत के हक व हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 12 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.26 17:39:20 IST
Reason: SelfAttested